



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/स्टे/केकडी/2022/4897 जयपुर, दिनांक:- 16.11.22

**आदेश**

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 12540/2022 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2022 की पालना में विभागीय आदेश क्रमांक 3472 दिनांक 23.08.2022 की क्रम संख्या 3 जिसके द्वारा श्री मधुसूदन को विकास अधिकारी पंचायत समिति केकडी जिला अजमेर से विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत जिला पाली किया गया था, को निरस्त किया जाता है। श्री मधुसूदन यथावत विकास अधिकारी पंचायत समिति केकडी जिला अजमेर के पद पर पदस्थापित रहेंगे।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

97

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्राविपंरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
8. जिला कलक्टर, अजमेर।
9. प्रभारी अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 12540/2022 में तत्काल जवाब प्रस्तुत कर याचिका को निष्फल करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
10. संयुक्त विधि परामर्शी, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
12. ए.सी.पी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
13. आदेश पत्रावली।

97

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)